रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072026-274771
CG-DL-E-24072026-274771

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 590]	नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2026/आषाढ 31, 1948
No. 590]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2026/ASHADHA 31, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 649(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 39 के परंतुक और धारा 64 के खंड (ध) (ट) और (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेप एवं सुझाव, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजे जा सकते हैं। उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (........संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा प्रावधान न होने पर, ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके पश्चात् उक्त नियमों के रुप में उल्लिखित), में नियम 55 में,

(i) उप-नियम (1) में,—

(क) "स्वामी" शब्द के लिए, "हस्तांतरणकर्ता" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) "हस्तांतरण का तथ्य" शब्दों के पश्चात, "पोर्टल पर" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) "संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण जिसके अधिकार क्षेत्र में" शब्द के लिए, " उस राज्य का कोई भी पंजीकरण प्राधिकरण जिसमें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उप-नियम (2) में,—

(क) "और इसके साथ होगा—" शब्दों और प्रतीक के लिए, "और इसके साथ नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क और हस्तांतरणकर्ता के नामिती (यदि कोई हो) का पहचान प्रमाण संलग्न होगा" शब्द और विराम चिह्न अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) खंड (i), (ii), (iii) और (iv) का लोप किया जाएगा

(ग) खंड (iv) के उपर्युक्त लोप के पश्चात् निम्नलिखित परंतुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"बशर्ते कि मोटर वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया जाएगा यदि ऐसे वाहन का अमान्य पंजीकरण प्रमाण पत्र या बीमा प्रमाण पत्र या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र है, या कोई लंबित चालान या अदत्त प्रयोक्ता शुल्क है:

"बशर्ते आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां किसी मोटर वाहन को अधिकृत विक्रेता (डीलर) को सौंपा गया था, वहां पोर्टल पर ऐसे वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन के साथ प्रपत्र 29ग या जहां ऐसे वाहन को अधिकृत डीलरों के बीच हस्तांतरित किया गया था, सभी प्रपत्र 29गक भी संलग्न होंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 55क में,—

(i) उप-नियम (1), (2), (3) और (4) में, "पंजीकरण प्राधिकारी" शब्दों के लिए, जहां भी ये शब्द आते हैं, "राज्य परिवहन प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे

(ii) उप-नियम (1) में, "प्राधिकृत प्रमाण पत्र जारी किया गया" शब्दों के पश्चात, "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा

(ii) उप-नियम (2) में, "नियम 81 में निर्दिष्ट" शब्दों के लिए, "अधिनियम की धारा 211 के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 55ख में,—

(i) सीमांत शीर्षक में, "पंजीकृत वाहनों के अधिकृत डीलरों" शब्दों के पश्चात, "स्वामी द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) "द्विगुणात्मक" शब्द के लिए, जहां भी यह आता है, "उचित रूप से" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) उप-नियम (1) में, "पंजीकरण प्राधिकारी, जिसके साथ" शब्दों और विराम चिह्न के लिए, "राज्य का कोई भी पंजीकरण प्राधिकारी, जिसमें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

(1क) मोटर वाहन का स्वामित्व किसी अधिकृत डीलर को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा वाहन:

क. वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना है

ख. सुपरदारी पर घोषित किया गया है, या किसी आपराधिक मामले में शामिल है या निषिद्ध माल के परिवहन या मोटर वाहन दुर्घटना के मामले में शामिल है

ग. कोई लंबित चालान या कर या प्रयोक्ता शुल्क की मांग है, या

घ. किराये-खरीद या पट्टे या आडमान करार के तहत है।"

(v) उप-नियम (2) में, "मोटर वाहन के पंजीकृत स्वामी" शब्दों के पश्चात, शब्द, अंक और विराम चिह्न "प्रपत्र 29ग जमा करने के पश्चात पंद्रह दिनों की समाप्ति से पहले किसी भी समय अधिकृत डीलर से वाहन वापस ले सकते हैं, और" अंतःस्थापित किया जाएगा।

5. उक्त नियमों में, नियम 55ख के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

"55खक. अधिकृत डीलरों के बीच लेनदेन के मामले में पंजीकरण प्राधिकारी और पंजीकृत स्वामी को सूचना

(1) उप-नियम (2) के अध्यधीन, मोटर वाहन के अधिकृत डीलर, राज्य के किसी भी पंजीकरण प्राधिकारी को, जिसमें वाहन वर्तमान में पंजीकृत है, वाहन के किसी अन्य अधिकृत डीलर को वाहन के सुपुर्दगी के तथ्य की सूचना, पंजीकृत वाहनों के, इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोर्टल पर प्रस्तुत प्रपत्र 29गक के माध्यम से, अधिनियम की धारा 211 के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उचित शुल्क के साथ देंगे और प्रपत्र 29गक के सफल प्रस्तुतीकरण पर, पावती संख्या पोर्टल के माध्यम से स्वचालित रूप से तैयार की जाएगी।

स्पष्टीकरण.- शंकाओं के निवारण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रपत्र 29गक को अधिकृत डीलर द्वारा, प्रत्येक बार जब ऐसा वाहन किसी अन्य अधिकृत डीलर को सौंपा जाता है या पश्चात में मूल अधिकृत डीलर को वापस किया जाता है, प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) जहां किसी मोटर वाहन को उसके स्वामी द्वारा अधिकृत डीलर को सौंपा गया था, ऐसे वाहन का स्वामित्व अधिकृत डीलरों के बीच दो बार से अधिक हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, जिसमें किसी भी हस्तांतरण को पिछले अधिकृत डीलर को वापस करना भी शामिल है, और तदनुसार ऐसे मोटर वाहन के लिए दो से अधिक प्रपत्र 29गक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, जबतक कि पोर्टल पर प्रपत्र 30 के माध्यम से इसके स्वामित्व को हस्तांतरित नहीं कर दिया जाता है।

उदाहरण

ओ, मोटर वाहन का स्वामी होने के नाते, वाहन को अधिकृत डीलर एक्स को सौंपता है।

(क) एक्स वाहन को अधिकृत डीलर वाई को देता है, और वाई इसे अधिकृत डीलर जेड को देता है। जेड वाहन को किसी अन्य अधिकृत डीलर को तब तक नहीं दे सकता जब तक कि पोर्टल पर प्रपत्र 30 के माध्यम से वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित न हो जाए।

(ख) एक्स वाहन को अधिकृत डीलर वाई को देता है, और वाई इसे वापस एक्स को देता है। इसके पश्चात एक्स वाहन को किसी अन्य अधिकृत डीलर को तब तक नहीं दे सकता है जब तक कि पोर्टल पर प्रपत्र 30 के माध्यम से वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित न हो जाए।

(ग) एक्स वाहन को अधिकृत डीलर वाई को देता है, और वाई इसे अधिकृत डीलर जेड को देता है। इसके पश्चात, पोर्टल पर प्रपत्र 30 के माध्यम से ओ द्वारा बी, जेड द्वारा पहचाने गए क्रेता, को वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित किया जाता है। बी इसके पश्चात इस नियम के अनुसार वाहन को किसी अन्य अधिकृत डीलर को सौंप सकता है।

(3) किसी मोटर वाहन का स्वामित्व अधिकृत डीलरों के बीच हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा वाहन:

क. वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना है

ख. सुपरदारी पर घोषित किया गया है, या किसी आपराधिक मामले में शामिल है या निषिद्ध माल के परिवहन या मोटर वाहन दुर्घटना के मामले में शामिल है

ग. कोई लंबित चालान या कर या प्रयोक्ता शुल्क की मांग है, या

घ. किराये-खरीद या पट्टे या आडमान करार के तहत है।

(4) जहां किसी मोटर वाहन को मूल अधिकृत डीलर द्वारा किसी अन्य अधिकृत डीलर को दिया जाता है और प्रपत्र 29गक प्रस्तुत किया जाता है, तो पंजीकरण प्राधिकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वाहन की सुपुर्दगी के तथ्य से मोटर वाहन के पंजीकृत स्वामी को सूचित करेगा।

55खख. अधिकृत डीलर के स्वामित्व वाले मोटर वाहन की शर्तें

किसी भी अधिकृत डीलर के स्वामित्व में किसी भी मोटर वाहन को पंजीकृत स्वामी द्वारा प्रपत्र 29ग में सूचना की तारीख से छह माह से अधिक समय तक प्रपत्र 30 के माध्यम से ऐसे वाहन के पंजीकरण को हस्तांतरित किए बिना नहीं रखा जाएगा, ऐसा करने में विफल रहने पर वाहन का स्वामित्व स्वचालित रूप से पूर्व में अधिकृत डीलर के नाम पर हस्तांतरित हो जाएगा, जिसे ऐसे वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित किया गया था, जैसे कि स्वामित्व का ऐसा हस्तांतरण

अधिनियम की धारा 50 के तहत किया गया था और तदनुसार पोर्टल पर ऐसे वाहन के स्वामित्व क्रम संख्या में परिलक्षित होगा।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रयोजन के लिए, अधिकृत डीलर का तात्पर्य एक ऐसे डीलर से है जिसके पास प्रपत्र 29ख में जारी एक वैध प्राधिकरण प्रमाण पत्र है।"

उदाहरण

ओ, जो एक मोटर वाहन का पंजीकृत स्वामी है, वाहन को अधिकृत डीलर एक्स को सौंपता है और प्रपत्र 29ग प्रस्तुत करता है।

(क) प्रपत्र 29ग जमा करने की तिथि से छह माह के भीतर प्रपत्र 30 के माध्यम से वाहन का स्वामित्व बी को हस्तांतरित किया जाता है, जो एक्स द्वारा चिन्हित क्रेता है। इस नियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है।

(ख) एक्स इन नियमों के अनुसार अधिकृत डीलर वाई को वाहन सौंपता है। प्रपत्र 29ग जमा करने की तिथि से छह माह के भीतर प्रपत्र 30 के माध्यम से वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया जाता है। प्रपत्र 29ग जमा करने की तिथि से छह माह की समाप्ति के पश्चात् वाहन का स्वामित्व वाई को हस्तांतरित हो जाएगा।

(ग) एक्स वाहन को अधिकृत डीलर वाई को सौंपता है, और वाई इन नियमों के अनुसार अधिकृत डीलर जेड को वाहन सौंपता है। प्रपत्र 29ग जमा करने की तिथि से छह माह के भीतर प्रपत्र 30 के माध्यम से वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया जाता है। प्रपत्र 29ग जमा करने की तिथि से छह माह की समाप्ति के पश्चात् वाहन का स्वामित्व जेड को हस्तांतरित हो जाएगा।

(घ) ओ अधिकृत डीलर एक्स को वाहन सौंपता है और प्रपत्र 29ग जमा करता है। एक्स के पास प्रपत्र 29ख में वैध प्राधिकरण प्रमाण पत्र छह माह की समाप्ति से पहले ही समाप्त हो जाता है। प्रपत्र 29ग जमा करने की तिथि से छह माह के भीतर प्रपत्र 30 के माध्यम से वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया जाता है। वाहन का स्वामित्व फिर भी एक्स को स्वतः हस्तांतरित हो जाएगा।

6. उक्त नियमों में, नियम 55ग में,—

(i) उप-नियम (1) में,—

(क) "प्रपत्र 29ग जमा करने के पश्चात्" शब्दों और संख्याओं के पश्चात्, "या प्रपत्र 29गक इलेक्ट्रॉनिक रूप से" शब्द और संख्याएँ अंतःस्थापित की जाएंगी;

(ख) "मोटर वाहन का स्वामी माना जाएगा" शब्दों के पश्चात्, "धारा 157 के प्रयोजन के लिए भी शामिल है," शब्द और विराम चिह्न अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

"स्पष्टीकरण— संशय दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि पंजीकृत वाहनों का अधिकृत डीलर मोटर वाहन का माना हुआ स्वामी होगा और प्रपत्र 29गक में किसी अन्य अधिकृत डीलर को वाहन सौंपे जाने की सूचना या प्रपत्र 29घ जमा किए जाने तक उप-नियम (1) के तहत निर्दिष्टानुसार एकमात्र उत्तरदायी होगा।

(ii) उप-नियम (2) में, "प्रपत्र 29ग के माध्यम से उसके स्वामित्व में" शब्दों और संख्याओं के पश्चात्, "या प्रपत्र 29गक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

7. उक्त नियमों में, नियम 55घ में,—

(क) उप-नियम (क) में, "संभावित क्रेता के लाभ के लिए" शब्दों के पश्चात्, "या किसी अन्य अधिकृत डीलर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) परंतुक में,—

(i) "कम से कम पंद्रह मीटर." शब्दों और विराम चिह्नों के स्थान पर "कम से कम पंद्रह मीटर:" शब्द और विराम चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा अर्थात्:—

"इसके अतिरिक्त, यह भी प्रावधान है कि ऐसे वाहन को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक कि उसके पास वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र न हो।"

8. उक्त नियमों में, नियम 55च में, अक्षर और अंक "55ग" के स्थान पर अक्षर और अंक "55खक" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

9. उक्त नियमों में, नियम 81 में, तालिका में, क्रम संख्या 1क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का विलोपन कर दिया जाएगा।

10. उक्त नियमों में, प्रपत्र 29 में,—

(i) प्राप्तकर्ता के विवरण में, शब्द और कोष्ठक "(जिसके अधिकार क्षेत्र में अंतरिती निवास करता है)" का विलोपन कर दिया जाएगा;

(ii) प्राप्तकर्ता के विवरण के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:

वाहन का पंजीकरण क्रमांक …………

टिप्पणः इस प्रपत्र में वाहन का पंजीकरण नंबर प्रदान करने पर, स्वामी का नाम और पता, वाहन का मेक, चेसिस नंबर, इंजन नंबर जैसी जानकारी वाहन (वीएएचएएन) पोर्टल से स्वतः प्राप्त हो जाएगी।

(iii) प्रथम पैरा में, "वाहन संख्या ……….." शब्द विलोपित किए जाएंगे;

(iv) द्वितीय पैरा में, "पंजीकरण प्रमाण पत्र" शब्दों के पश्चात्, "प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र" शब्द और विराम चिह्न अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(v) तृतीय पैरा में, "सभी ऋण भारों से मुक्त" शब्दों के पश्चात्, "वाहन के संबंध में कोई चालान लंबित नहीं है, वाहन पर कर की कोई मांग या कोई बकाया प्रयोक्ता शुल्क लंबित नहीं है" विराम चिह्न और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

11. उक्त नियमों में, प्रपत्र 29क में,—

(i) प्राप्तकर्ता के विवरण में, "पंजीकरण प्राधिकारी को" शब्दों के स्थान पर "राज्य परिवहन प्राधिकारी को" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) तालिका में,—

(क) क्रम संख्या 4 में, द्वितीय कॉलम में, शब्दों, विराम चिह्नों और कोष्ठकों "व्यवसाय स्थल – (संलग्न किए जाने वाले क्षेत्र सहित लेआउट योजना)", के लिए "व्यापार का स्थान(स्थानों) – (संलग्न किए जाने वाले क्षेत्र सहित लेआउट योजना(योजनाएं))" शब्द, विराम चिह्न और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या 7 में, द्वितीय कॉलम में, "उद्यम आधार" शब्दों के पश्चात्, "या कॉर्पोरेट पहचान संख्या या आधार" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) क्रम संख्या 8 में, द्वितीय कॉलम में, "वैध वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण" शब्दों के पश्चात्, "(यदि लागू हो)" शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(iii) घोषणा के पश्चात्, निम्नलिखित नोट जोड़ा जाएगा, अर्थात्,—

"टिप्पण: नियम 55खख के अनुसार, पंजीकृत स्वामी द्वारा प्रपत्र 29ग में सूचना देने की तिथि से छह माह से अधिक समय तक किसी भी मोटर वाहन को किसी भी अधिकृत डीलर के स्वामित्व में नहीं रखा जाएगा, जब तक कि प्रपत्र 30 के माध्यम से ऐसे वाहन का पंजीकरण स्थानांतरित न कर दिया जाए। ऐसा न करने पर, वाहन का स्वामित्व स्वतः ही उस अंतिम अधिकृत डीलर के नाम पर स्थानांतरित हो जाएगा जिसे वाहन का कब्जा, वाहन पोर्टल पर स्थानांतरित किया गया था और तदनुसार यह उस वाहन के स्वामित्व क्रम संख्या में परिलक्षित होगा।"

12. उक्त नियमों में, प्रपत्र 29ख में,—

(i) तालिका की क्रम संख्या 3 में, "व्यवसाय" शब्द के स्थान पर, "व्यवसाय(व्यवसायों)" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) "पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर" शब्दों के स्थान पर "राज्य परिवहन प्राधिकारी के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

13. उक्त नियमों में प्रपत्र 29ग के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र जोड़ा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"प्रपत्र 29गक

[नियम 55खक देखें]

पंजीकृत वाहनों के किसी अन्य अधिकृत डीलर को वाहन सौंपे जाने की सूचना पंजीकरण प्राधिकारी को देना।

पावती संख्या .... (पोर्टल के माध्यम से स्वतः(ऑटो) सृजित होगी)

सेवा में,

पंजीकरण प्राधिकारी ....

वाहन का पंजीकरण क्रमांक ....

टिप्पण: वाहन का पंजीकरण नंबर दर्ज करने पर, स्वामी का नाम और पता, पंजीकरण चिह्न, मेक, चेसिस नंबर, इंजन नंबर जैसा विवरण इस प्रपत्र में, वाहन पोर्टल से स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा।

मैं, मैसर्स................................. का अधिकृत प्रतिनिधि/हस्ताक्षरकर्ता, दिनांक .... को वाहन (मेक ....), चेसिस नंबर.............., इंजन नंबर या बैटरी चालित वाहनों के मामले में मोटर नंबर, मैसर्स .... के अधिकृत प्रतिनिधि/हस्ताक्षरकर्ता को सौंप चुका हूँ, जिनका व्यवसाय कार्य स्थल .... है।

अधिकृत प्रमाणपत्र संख्या (हस्तांतरण कर्ता) ....

अधिकृत प्रमाण पत्र संख्या (हस्तांतरण प्राप्त कर्ता) ....

जारीकर्ता ....

.... तक मान्य

पंजीकरण प्रमाण पत्र, पीयूसीसी और बीमा प्रमाण पत्र उन्हें सौंप दिए गए हैं।

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि वाहन के संबंध में कोई चालान लंबित नहीं है, वाहन पर कर की कोई मांग लंबित नहीं है, न ही वाहन पर कोई चालान लंबित है। वाहन किसी परमिट द्वारा कवर नहीं किया गया है या वाहन का परमिट उस प्राधिकरण को सौंप दिया गया था जिसने इसे दिया था। वाहन किसी आपराधिक मामले या निषिद्ध सामानों के परिवहन से संबंधित किसी मामले में शामिल नहीं है, न ही वाहन पर किसी दुर्घटना का कोई मामला लंबित है। वाहन को किराया-खरीद/पट्टे/बंधक के करार के तहत नहीं गया जाता है। मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, वाहन सुपरदारी के अधीन नहीं है और सभी भार से मुक्त है और वाहन पर कर या किसी भी चालान या किसी भी बकाया प्रयोक्ता शुल्क की कोई मांग लंबित नहीं है और यहां दी गई जानकारी सत्य है। मैं किसी भी अशुद्धि या सूचना के दमन के लिए खुद को उत्तरदायी ठहराने का वचन देता/देती हूं और मैं पंजीकृत वाहनों के उपरोक्त उल्लिखित अधिकृत डीलर को पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण/फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण, डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र, एनओसी, बीमा और मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए मेरी ओर से आवेदन करने के लिए अधिकृत करता/करती हूं।

....

पंजीकृत वाहन के अधिकृत डीलर के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर

....

पंजीकृत वाहन के स्वामित्व में मौजूद अधिकृत डीलर के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर

उपर्युक्त वाहन, उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र, पीयूसी और बीमा प्रमाण पत्र मेरे स्वामित्व में है और मैं वाहन से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेजों की वैधता और इस वाहन से संबंधित किसी भी घटना के लिए आगे से पूरी तरह से उत्तरदायी रहूंगा/रहूँगी।

तारीख ....

14. उक्त नियमों में, प्रपत्र 30 में,—

(i) प्राप्तकर्ता के विवरण में, "प्रति, पंजीकरण प्राधिकारी" शब्दों के बाद, निम्नलिखित शब्द और विराम चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

वाहन का पंजीकरण क्रमांक …………

टिप्पणीः वाहन का पंजीकरण नंबर प्रदान करने पर, इस प्रपत्र में स्वामी का नाम और पता जैसी जानकारी वाहन पोर्टल से स्वतः (ऑटो) प्राप्त हो जाएगी।

(ii) भाग I के द्वितीय पैरा में, "पंजीकरण चिह्न धारण करने वाले ……………." शब्द विलोपित किए जाएंगे;

(iii) भाग II के तृतीय पैरा में, "सभी भारों से मुक्त" शब्दों के बाद, "और वाहन पर कोई कर की मांग या कोई बकाया प्रयोक्ता शुल्क या कोई चालान लंबित नहीं है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(iv) "हस्तांतरण प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान" शब्दों के स्थान पर "हस्तांतरण प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. आरटी-11028/08/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण:—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि...........(अ), दिनांकित .... द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2026

G.S.R. 649(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by proviso to section 39 and clause(s) (k) and (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001, Email: comments-morth@gov.in. Any objection(s) or suggestion(s) which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement- (1) These rules may be called the *Central Motor Vehicles (.... Amendment) Rules, 2026*.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 55,

(i) in sub-rule (1),—

(a) for the word "owner", the word "transferor" shall be substituted;

(b) after the words "fact of transfer", the words "on the portal" shall be inserted;

(c) for the words "the registering authorities concerned in whose jurisdiction", the word "any registering authority of the State in which" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2),—

(a) for the words and symbol "and shall be accompanied by—", the words and punctuation mark "and shall be accompanied by the appropriate fee as specified in rule 81 and proof of identity of nominee (if any) of the transferee" shall be inserted;

(b) clauses (i), (ii), (iii) and (iv) shall be omitted

(c) after clause (iv) so omitted, the following provisos shall be inserted namely,—

"PROVIDED that the ownership of a motor vehicle shall not be transferred if such vehicle has an invalid, certificate of registration or certificate of insurance or pollution under control certificate, or has any pending challans or unpaid user fee:

PROVIDED further that where a motor vehicle was delivered to an authorised dealer, an application for the transfer of ownership of such vehicle shall also be accompanied by Form 29C or where such vehicle was transferred between authorised dealers, by all Form 29CA, on the portal.

3. In the said rules, in rule 55A,—

(i) in sub-rules (1), (2), (3) and (4), for the words "registering authority", wherever they occur, the words "State Transport Authority" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (1), after the words "authorisation certificate issued", the word "electronically" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (2), for the words "as specified in Rule 81", the words "prescribed by the State Government under section 211 of the Act" shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 55B,—

(i) in the marginal heading, after the words "authorised dealers of registered vehicles", the words "by owner" shall be inserted;

(ii) for the word "dually", wherever it occurs, the word "duly" shall be substituted;

(iii) in sub-rule (1), for the words and punctuation "the registering authority, with whom", the words "any registering authority of the State, in which" shall be substituted;

(iv) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely,—

"(1A) The possession of a motor vehicle shall not be transferred to an authorised dealer, if such vehicle:

a. does not have a valid, certificate of registration, certificate of insurance and pollution under control certificate,

b. is declared to be on superdari, or involved in any criminal case or case regarding transportation of prohibited goods or case of motor vehicle accident,

c. has any pending, challans or demand for tax or user fee, or

d. is held under a hire-purchase or lease or hypothecation agreement."

(v) in sub-rule (2), after the words "Registered owner of a motor vehicle", the words, numerals and punctuation mark "may take back the vehicle from an authorised dealer at any time before the expiry of fifteen days from submission of Form 29C, and" shall be inserted.

5. In the said rules, after rule 55B, the following rules shall be inserted, namely,—

"55BA. Intimation to the registering authority and registered owner in case of transaction between authorised dealers

(1) Subject to sub-rule (2), the authorised dealer of a motor vehicle, shall intimate any registering authority of the State in which the vehicle is currently registered, the fact of delivery of vehicle to another authorised dealer of registered vehicles, through Form 29CA, submitted electronically on portal, accompanied by appropriate fee prescribed by the State Government under section 211 of the Act, and on successful submission of Form 29CA, acknowledgement number shall be automatically generated through the portal.

Explanation.— For the removal of doubts, it is hereby clarified that Form 29CA shall be submitted by an authorised dealer, every time such vehicle is delivered to another authorised dealer or delivered back to the original authorised dealer subsequently.

(2) Where a motor vehicle was delivered to an authorised dealer by its owner, the possession of such vehicle shall not be transferred more than twice between authorised dealers, including any transfer back to a previous authorised dealer, and accordingly not more than two Form 29CA shall be submitted for such motor vehicle, until its ownership is transferred through Form 30 on the Portal.

Illustration.

O, being the owner of a motor vehicle, delivers the vehicle to authorised dealer X.

(a) X delivers the vehicle to authorised dealer Y, and Y delivers it to authorised dealer Z. Z cannot deliver the vehicle to another authorised dealer unless the ownership of the vehicle is transferred through Form 30 on the portal.

(b) X delivers the vehicle to authorised dealer Y, and Y delivers it back to X. X cannot thereafter deliver the vehicle to another authorised dealer unless the ownership of the vehicle is transferred through Form 30 on the portal.

(c) X delivers the vehicle to authorised dealer Y, and Y delivers it to authorised dealer Z. Thereafter, ownership of the vehicle is transferred by O to B, a buyer identified by Z, through Form 30 on the portal. B may thereafter deliver the vehicle to another authorised dealer in accordance with this rule.

(3) The possession of a motor vehicle shall not be transferred between authorised dealers, if such vehicle:

a. does not have a valid, certificate of registration, certificate of insurance and pollution under control certificate,

b. is declared to be on superdari, or involved in any criminal case or case regarding transportation of prohibited goods or case of motor vehicle accident,

c. has any pending, challans or demand for tax or user fee, or

d. is held under a hire-purchase or lease or hypothecation agreement.

(4) Where a motor vehicle is delivered to another authorised dealer by the original authorised dealer and Form 29CA is submitted, the registering authority shall intimate the registered owner of the motor vehicle of the fact of delivery of the vehicle through electronic means.

55BB. Conditions for a motor vehicle in possession of an authorised dealer

No motor vehicle shall be kept in the possession of any authorised dealer for more than six months from the date of intimation in Form 29C by the registered owner, without transferring the registration of such vehicle through Form 30, failing which the ownership of the vehicle shall be automatically transferred in the name of the last authorised dealer to whom the possession of such vehicle was transferred, as if such transfer of ownership was made under Section 50 of the Act and shall accordingly be reflected in the ownership serial number of such vehicle on the Portal.

Explanation.— For the purpose of this rule, an authorised dealer means a dealer having a valid authorisation certificate issued in Form 29B.".

Illustration.

O, being the registered owner of a motor vehicle, delivers the vehicle to authorised dealer X and submits Form 29C.

(a) The ownership of the vehicle is transferred to B, a buyer identified by X, through Form 30 within six months from the date of submission of Form 29C. The provisions of this rule are complied with.

(b) X delivers the vehicle to authorised dealer Y in accordance with these rules. The ownership of the vehicle is not transferred through Form 30 within six months from the date of submission of Form 29C. The ownership of the vehicle shall stand transferred to Y, after expiry of six months from the date of submission of Form 29C.

(c) X delivers the vehicle to authorised dealer Y, and Y delivers the vehicle to authorised dealer Z in accordance with these rules. The ownership of the vehicle is not transferred through Form 30 within six months from the date of submission of Form 29C. The ownership of the vehicle shall stand transferred to Z, after expiry of six months from the date of submission of Form 29C.

(d) O delivers the vehicle to authorised dealer X and submits Form 29C. X ceases to hold a valid authorisation certificate in Form 29B before expiry of six months. The ownership of the vehicle is not transferred through Form 30 within six months from the date of submission of Form 29C. The ownership of the vehicle shall nevertheless stand transferred to X.

6. In the said rules, in rule 55C,—

(i) in sub-rule (1),—

(a) after the words and numbers "After submission of Form 29C", the words and numbers "or Form 29CA electronically" shall be inserted;

(b) after the words "shall be deemed owner of the motor vehicle", the words and punctuation marks ", including for the purpose of section 157," shall be inserted;

(c) the following explanation shall be inserted, namely,—

"*Explanation.—* For the removal of doubts, it is hereby clarified that the authorised dealer of registered vehicles shall be the deemed owner of the motor vehicle and solely responsible as specified under sub-rule (1) till intimation of fact of delivery to another authorised dealer in Form 29CA or submission of Form 29D.";

(ii) in sub-rule (2), after the words and numbers "in his possession through Form 29C", the words "or Form 29CA" shall be inserted.

7. In the said rules, in rule 55D,—

(a) in sub-rule (a), after the words "for the benefit of a prospective purchaser", the words "or another authorised dealer" shall be inserted;

(b) in the proviso,—

(i) for the words and punctuation "at least fifteen meters.", the words and punctuation "at least fifteen meters:" shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be inserted, namely:—

"PROVIDED further that such vehicle shall not be driven in any public place unless it has valid, certificate of registration, certificate of insurance and pollution under control certificate."

8. In the said rules, in rule 55F, for the letter and numeral "55C", the letter and numeral "55BA" shall be substituted.

9. In the said rules, in rule 81, in the table, serial number 1A and the entries relating thereto shall be omitted.

10. In said rules, in Form 29,—

(i) in the description of the addressee, the words and bracket "(In whose jurisdiction the Transferee resides)" shall be omitted;

(ii) after the description of the addressee, the following shall be inserted:

"Registration Number of Vehicle ………….

Note: Upon providing Registration Number of the vehicle, details such as owner name and address, make, chassis number, engine number in this Form shall be auto fetched from VAHAN portal."

(iii) In the first paragraph, the words "Vehicle No. ………." shall be omitted;

(iv) In the second paragraph, after the words "The Registration Certificate" the words and punctuation mark ", pollution under control (PUC) certificate" shall be inserted;

(v) In the third paragraph, after the words "free from all encumbrances", the punctuation mark and words ", no challans are pending with respect to the vehicle, no demand of tax or any unpaid user fee is pending on the vehicle" shall be inserted.

11. In the said rules, in Form 29A,—

(i) in the description of the addressee, for the words "To the Registering Authority", the words "To the State Transport Authority" shall be substituted;

(ii) in the table,—

(a) in serial number 4, in the second column, for the words, punctuation and brackets "Place of business – (lay out plan with area to be attached)", the words, punctuation and brackets "Place(s) of business – (lay out plan(s) with area to be attached)" shall be substituted;

(b) in serial number 7, in the second column, after the words "Udhyam Aadhaar", the words "or Corporate Identification Number or Aadhaar" shall be inserted;

(c) in serial number 8, in the second column, after the words "Valid Goods and Services Tax registration", the words and brackets "(if applicable)" shall be inserted.

(iii) after the declaration, the following Note shall be inserted, namely,—

"**Note**: As per Rule 55BB, no motor vehicle shall be kept in the possession of any authorised dealer for more than six months, from the date of intimation in Form 29C by the registered owner, without transferring the registration of such vehicle through Form 30, failing which the ownership of the vehicle shall be automatically transferred in the name of the last authorised dealer to whom the possession of such vehicle was transferred on VAHAN and shall accordingly be reflected in the ownership serial number of such vehicle.".

12. In the said rules, in Form 29B,—

(i) in serial number 3 of the table, for the word "business", the word and brackets "business(es)" shall be substituted;

(ii) for the words "Signature/digital signature of Registering Authority", the words "Signature/digital signature of State Transport Authority" shall be substituted.

13. In the said rules, after Form 29C, the following Form shall be inserted, namely,—

"**FORM 29CA**

[Refer rule 55BA]

INTIMATION TO THE REGISTERING AUTHORITY, ABOUT THE FACT OF DELIVERY OF VEHICLE TO ANOTHER AUTHORISED DEALER OF REGISTERED VEHICLES

Acknowledgement number .... (to be auto generated through portal)

To

The Registering Authority ....

Registration Number of Vehicle ………….

Note: Upon providing Registration Number of the vehicle, details such as owner name and address, registration mark, make, chassis number, engine number in this Form shall be auto fetched from VAHAN portal.

I. .... authorised representative / signatory of M/s.................................. have on the .... day of the year .... delivered vehicle make .... Chassis No.............. Engine number or motor number in the case of Battery Operated Vehicles .... to .... authorised representative / signatory of M/s. ………………………… having place of business as...

Authorisation certificate number (transferor) ....

Authorisation certificate number (transferee) ....

Issued by ....

Valid up to ....

The Registration Certificate, PUCC and Insurance Certificate have been handed over to him/her/them.

Declaration

I hereby declare that no challans are pending with respect to the vehicle, no demand of tax is pending on the vehicle, nor any challan is pending on the vehicle. The vehicle is not covered by any permit or the permit of the vehicle was surrendered to the authority that granted it. The vehicle is not involved in any criminal case or any case regarding transportation of prohibited goods, nor any case of accident is pending on vehicle. The vehicle is not held under an agreement of hire-purchase/ lease/ hypothecation. To the best of my knowledge and belief, the vehicle is not under superdari and is free from all encumbrances and no demand of tax or any challan or any unpaid user fee is pending on the vehicle and the information furnished herein is true. I undertake to hold myself responsible for any inaccuracy or suppression of information and I hereby authorise above mentioned authorised dealer of registered vehicles to apply on my behalf for renewal of registration certificate/renewal of certificate of fitness, duplicate registration certificate, NOC, insurance and transfer of ownership of motor vehicle.

……………………… ……………………..

Signature/digital signature/e-signature of the recipient authorised dealer of the registered vehicle

Signature/digital signature/e-signature of authorised dealer in possession of the registered vehicle

The above mentioned vehicle, its Registration Certificate, PUCC and Insurance Certificate have been taken in my possession and I shall be solely responsible for validity of relevant documents of vehicle and any incident regarding this vehicle henceforth.”.

Date ....

14. In the said rules, in Form 30, —

(i) in the description of the addressee, after the words “To, The Registering Authority”, the following words and punctuation marks shall be inserted

“Registration Number of Vehicle ………….

Note: Upon providing Registration Number of the vehicle, details such as owner name and address in this Form shall be auto fetched from VAHAN portal.”

(ii) in the second paragraph of Part I, the words “bearing Registration mark …………….” shall be omitted;

(iii) in the third paragraph of Part II, after the words “free from all encumbrances” the words “and no demand of tax or any unpaid user fee or any challans are pending on the vehicle” shall be inserted.

(iv) for the words “Signature or thumb impression of the Transferee” the words “Signature of the Transferee” shall be substituted.

[F. No. RT-11028/08/2025-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and was lastly amended vide notification number G.S.R. ____ (E) dated the ____.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.07.24 16:02:35 +05'30'